कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 60 /11–सी–FP/UP/Trans/15538/2015, लखनऊ, दिनांकः जुलाई 07 ,2022

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सा0वा0 वृत्त,
प्रयागराज।

विषयः– 765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी–बारा पारेषण लाइन सर्किट–1 के निर्माण कार्य हेतु कानपुर नगर में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 18 वृक्षों के पातन, कानपुर देहात में प्रभावित 0.8064 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 37 वृक्षों के पातन, प्रयागराज में प्रभावित 0.4288 हे0 संरक्षित व 14.4106 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात 14.8394 हे0 वनभूमि एवं बाधक 2460 वृक्षों के पातन, मैनपुरी वन प्रभाग में प्रभावित 1.4145 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 9 वृक्षों के पातन, औरैया वन प्रभाग में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 220 वृक्षों के पातन तथा फतेहपुर वन प्रभाग में प्रभावित 2.1504 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 67 वृक्षों के पातन कुल 5.4913 हे0 संरक्षित एवं 14.4106 हे0 आरक्षित अर्थात कुल 19.9019 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2811 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक–3974/15–1, दिनांक 21.06.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण का समेकित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

औरैया वन प्रभागः–

1. प्रस्ताव में संलग्न लीज अवधि प्रमाण पत्र की आवश्यकता न होने के कारण इसे प्रस्ताव से पृथक करें।
2. प्रस्ताव में प्रस्तावित परियोजना वनभूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य (जस्टिफिकेशन) प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
3. प्रस्ताव में बाधक वृक्षों की सूची संलग्न है, किन्तु ऑनलाइन भाग–2 के अनुसार व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सारांश संलग्न नहीं किया गया है।
4. पारेषण लाइन में आने वाले वृक्षों, जिनका पातन नहीं किया जाना है, वैज्ञानिक नाम एवं व्यासवार सहित सूची संलग्न नहीं है।
5. प्रस्ताव में पारेषण लाइन के नीचे रिक्त स्थानों में बौने मुख्यतः औषधीय पौधों का वृक्षारोपण एवं 8 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न किया गया है, जोकि अपूर्ण है। अतः पारेषण लाइन के नीचे रिक्त स्थानों में बौने मुख्यतः औषधीय पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन ऑनलाइन भाग–2 में धनराशि सहित अपलोड करें तथा पूर्व का त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन डिलिट करें।
6. प्रस्तावित वनभूमि के एन0पी0वी0 में संशोधन के उपरान्त बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता ऑनलाइन अपलोड नहीं है।
7. वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
8. प्रस्ताव में गजट नोटिफिकेशन संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।
9. प्रस्ताव में संलग्न मलवा उर्त्सजन सम्बन्धी प्रमाण पत्र भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में नहीं है।
10. प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–2 में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल गलत है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करें।
11. प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हार्डकापी भाग–2 पूरा भरा नहीं गया है। अतः पूर्ण हार्डकापी भाग–2 प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
12. प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–82 से 85 पर संलग्न प्रमाण पत्र की आवश्यकता न होने के कारण इसे प्रस्ताव से पृथक करें।
13. तीन वैकल्पिक रूट्स का Geo Referenced Digital Map संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
14. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13 (i से v तक) में अपलोड किये गये त्रुटिपूर्ण विवरण/अभिलेख को डिलिट करें।

कानपुर देहात वन प्रभागः–

1. प्रस्ताव में संलग्न स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित है।
2. प्रस्ताव में संलग्न वनभूमि की गणना में बाधक वृक्षों की सं0 गलत अंकित है। अतः सही बाधक वृक्षों की सं0 अंकित करें।
3. प्रस्ताव में प्रस्तावित परियोजना वनभूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य (जस्टिफिकेशन) प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
4. प्रस्ताव में बाधक वृक्षों की सूची संलग्न है, किन्तु व्यासवर्ग गलत अंकित है।
5. पारेषण लाइन में आने वाले वृक्षों, जिनका पातन नहीं किया जाना है, वैज्ञानिक नाम एवं व्यासवार सहित सूची संलग्न नहीं है।
6. प्रस्ताव में पारेषण लाइन के नीचे रिक्त स्थानों में बौने मुख्यतः औषधीय पौधों का वृक्षारोपण का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न किया गया है, किन्तु प्राक्कलन में क्षेत्रफल गलत अंकित है। अतः सही क्षेत्रफल अंकित कर कम से कम 1000 पौधे प्रति हे0 दर से प्राक्कलन प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में धनराशि सहित अपलोड करें।
7. प्रस्ताव में संलग्न एन0पी0वी0 की गणना में क्षेत्रफल व गणना गलत आगणित की गयी है।
8. वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी के प्रमाण पत्र में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित है। अतः सही क्षेत्रफल अंकित कर ऑनलाइन अपलोड करें।
9. प्रस्ताव में संलग्न मलवा उत्र्सजन सम्बन्धी प्रमाण पत्र भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में नहीं है।
10. प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–1 से 24 तक ऑनलाइन पार्ट–1 व पार्ट–2 त्रुटिपूर्ण संलग्न है। अतः सही करें।
11. प्रस्ताव में प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति का हार्डकापी भाग–2 संलग्न नहीं है।
12. प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–52 पर संलग्न संस्तुति प्रमाण पत्र में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित है।
13. प्रस्ताव में संलग्न समस्त अभिलेखों में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल 0.806 हे0 अंकित है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः सही क्षेत्रफल 0.8064 हे0 अंकित कर प्रस्ताव प्रस्तुत करें तथा Additional Inforamtion Detail से सभी त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र को डिलिट कर संशोधित प्रमाण पत्र यथास्थान पर अपलोड करें।
14. तीन वैकल्पिक रूट्स का Geo Referenced Digital Map संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
15. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13 (i से v तक) में अपलोड किये गये त्रुटिपूर्ण विवरण/अभिलेख को डिलिट करें।

प्रयागराज वन प्रभागः–

1. प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–40 पर संलग्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में क्षेत्रफल गलत अंकित है। अतः सही क्षेत्रफल अंकित करें।
2. प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान की वचनबद्धता संलग्न नहीं है।
3. प्रस्ताव में प्रस्तावित परियोजना वनभूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य (जस्टिफिकेशन) प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
4. पारेषण लाइन में आने वाले वृक्षों, जिनका पातन नहीं किया जाना है, वैज्ञानिक नाम एवं व्यासवार सहित सूची संलग्न नहीं है।
5. प्रस्ताव में पारेषण लाइन के नीचे रिक्त स्थानों में बौने मुख्यतः औषधीय पौधों का 625 पौधे प्रति हे0 की दर से 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न किया गया है, जोकि भारत सरकार के निर्देशानुसार नहीं है। अतः कम से कम 1000 पौधे प्रति हे0 दर से प्राक्कलन प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में धनराशि सहित अपलोड करें।
6. प्रस्ताव में संलग्न CA की SoI Toposheet पर लीजेण्ड अंकित नहीं है। अतः लीजेण्ड अंकित कर संशोधित SoI Toposheet ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।
7. भूमि स्वामित्व विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।
8. वन स्वरूप चिन्हित क्षेत्र इस प्रस्ताव में सम्मिलित न होने से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है।
9. गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न है किन्तु स्थल चिन्हित नहीं है।
10. ऑनलाइन भाग–2 एवं हार्डकापी भाग–2 के District Profile में विवरण भिन्न–भिन्न है तथा हार्डकापी भाग–2 में CA & NPV की धनराशि भी गलत अंकित है।
11. तीन वैकल्पिक रूट्स का Geo Referenced Digital Map संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।

कानपुरनगर वन प्रभाग :–

1. प्रस्ताव में संलग्न वनभूमि की गणना में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित है।
2. प्रस्ताव में प्रस्तावित परियोजना वनभूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य (जस्टिफिकेशन) प्रमाण पत्र संलग्न नहीं हैं। अतः संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
3. प्रस्ताव में बाधक वृक्षों की सूची संलग्न है, किन्तु ऑनलाइन भाग–2 के अनुसार व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सारांश संलग्न नहीं किया गया है।
4. पारेषण लाइन में आने वाले वृक्षों, जिनका पातन नहीं किया जाना है, वैज्ञानिक नाम एवं व्यासवार सहित सूची संलग्न नहीं है।
5. प्रस्ताव में संलग्न Geo Referenced Digital Map के Geo Coordinate संलग्न नहीं है।
6. प्रस्ताव में संलग्न एन0पी0वी0 की गणना में गणना गलत आगणित की गयी है। अतः सही गणना कर संशोधित एन0पी0वी0 की गणना ऑनलाइन अपलोड करें तथा Additional Inforamtion Detail से पूर्व का डिलिट करें।
7. प्रस्तावित वनभूमि के एन0पी0वी0 में संशोधन के उपरान्त बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न नहीं है।
8. गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न है किन्तु स्थल चिन्हित नहीं है।
9. प्रस्ताव में संलग्न मलवा उर्त्सजन सम्बन्धी प्रमाण पत्र भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में नहीं है।
10. प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–1, 2 एवं 66 पर संलग्न प्रमाण पत्र में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करें।
11. प्रस्ताव में संलग्न हार्डकापी भाग–2 में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित है।
12. ऑनलाइन भाग–2 एवं हार्डकापी भाग–2 के District Profile में विवरण भिन्न–भिन्न अंकित है। अतः सही विवरण अंकित करें।
13. प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–68 पर संलग्न लीज रेंट प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करें।
14. तीन वैकल्पिक रूट्स का Geo Referenced Digital Map संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
15. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13 (i से v तक) में अपलोड किये गये त्रुटिपूर्ण विवरण/अभिलेख को डिलिट करें।

मैनपुरी वन प्रभाग :–

1. प्रस्ताव में संलग्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। अतः हस्ताक्षर युक्त संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।
2. प्रस्ताव में संलग्न वनभूमि की गणना में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित है।
3. प्रस्ताव में प्रस्तावित परियोजना वनभूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य (जस्टिफिकेशन) प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
4. प्रस्ताव में पातन होने वाले बाधक वृक्षों का व्यासवार एवं वैज्ञानिक नाम सहित सूची संलग्न नहीं है।
5. पारेषण लाइन में आने वाले वृक्षों, जिनका पातन नहीं किया जाना है, वैज्ञानिक नाम एवं व्यासवार सहित सूची संलग्न नहीं है।
6. विषयगत प्रकरण में वृक्षारोपण समेकित रूप से प्रयागराज में प्रस्तावित है। अतः संलग्न प्राक्कलन को प्रस्ताव से पृथक करें तथा ऑनलाइन से भी डिलिट करें।
7. प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित वचनबद्धता संलग्न नहीं है।
8. प्रस्ताव में संलग्न एन0पी0वी0 की गणना में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित है। अतः सही क्षेत्रफल अंकित कर संशोधित एन0पी0वी0 की गणना ऑनलाइन अपलोड करें।
9. वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित है। अतः सही क्षेत्रफल अंकित कर संशोधित जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करें।
10. परियोजना से 10 किमी0 की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्यजीव विहार न होने के संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
11. प्रस्ताव में मलवा उर्त्सजन सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
12. प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कार्य प्रारम्भ न किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
13. प्रस्ताव में संलग्न किया गया प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कम से कम वृक्षों के पातन से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
14. प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–1 से 11 पर संलग्न प्रमाण पत्र में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित है। अतः सही क्षेत्रफल अंकित करें।

15. ऑनलाइन पार्ट–2 एवं हार्डकापी भाग–2 व अन्य समस्त अभिलेखों में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल 1.415 हे0 अंकित है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः सही क्षेत्रफल 1.4145 हे0 अंकित करें तथा Additional Inforamtion Detail से पूर्व का समस्त त्रुटिपूर्ण अभिलेखों को डिलिट कर ऑनलाइन अपलोड करें।
16. प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–80 पर संलग्न प्रमाण पत्र को प्रस्ताव से पृथक करें।
17. तीन वैकल्पिक रूट्स का Geo Referenced Digital Map पर प्रभागीय वनाधिकारी/प्रयोक्ता एजेंसी के हस्ताक्षर नहीं है।
18. तीन वैकल्पिक रूट्स का तुलानात्मक Justification संलग्न नहीं है।
19. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13 (i से v तक) में अपलोड किये गये त्रुटिपूर्ण विवरण/अभिलेख को डिलिट करें।

फतेहपुर वन प्रभाग :–

1. पारेषण लाइन में आने वाले वृक्षों, जिनका पातन नहीं किया जाना है, वैज्ञानिक नाम एवं व्यासवार सहित सूची संलग्न नहीं है।
2. प्रस्ताव में संलग्न मानक शर्तों के मान्य होने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रस्ताव में भूमि स्वामित्व विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
4. प्रस्ताव में संलग्न मलवा उर्त्सजन सम्बन्धी प्रमाण पत्र भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में नहीं है।
5. प्रस्ताव में ऑनलाइन पार्ट–1 गलत संलग्न है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करें।
6. तीन वैकल्पिक रूट्स का Geo Referenced Digital Map पर प्रभागीय वनाधिकारी/प्रयोक्ता एजेंसी के हस्ताक्षर नहीं है।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03–03 प्रतियॉ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् इस कार्यालय के पत्रांक–4091/11–सी, दिनांक 28.06.2023 में दिये गये निर्देशानुसार ऑनलाइन संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 60 /11–सी–FP/UP/Trans/ 15538/2015, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर।
2. वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, प्रयागराज/कानपुर नगर/कानपुर देहात/मैनपुरी/औरेया/फतेहपुर।
4. महाप्रबन्धक (पारेषण), एस0ई0यू0पी0पी0टी0सी0एल0, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।